क्रम-संख्या-395

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 01 सितम्बर, 2008

भाद्रपद 10, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1739/79-वि-1–08-1(क)-30-2008

लखनऊ, 01 सितम्बर, 2008

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 पर दिनांक 27 अगस्त, 2008 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2008 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2008

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 2008)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 171 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 171 में,—

उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (क) में, शब्द "विधवा" के स्थान पर शब्द "विधवा, अविवाहित पुत्री" रख दिये जाएंगे।

(ख) खण्ड (ग) निकाल दिया जाएगा।

धारा 174 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 174 में,—

(क) खण्ड (क) में शब्द "पूर्वमृत पुत्र के पुर्वमृत पुत्र की विधवा" के स्थान पर शब्द" पूर्वमृत पुत्र के पूर्वमृत पुत्र की विधवा और अविवाहित पुत्री" रख दिये जाएंगे।

(ख) खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा:—

(घ) "विवाहित पुत्री,"

उद्देश्य और कारण

बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए अविवाहित पुत्री, जो अपने माता-पिता की निकटतम सगोत्र नातेदार हो और उन पर पूर्णतः निर्भर हो, को भी उनके खाते में उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1951) के विद्यमान उपबन्ध के अनुसार अविवाहित पुत्री का उल्लेख अधिमान क्रम में पहले स्थान पर नहीं किया गया है और इसलिए उसे अपने माता-पिता की कृषि भूमि के खाते के उसके उत्तराधिकार से वंचित किया गया है और इस प्रकार उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके किसी भूमिधर या आसामी की मृत्यु की दशा में अविवाहित पुत्री को भी कृषि भूमि में उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान किया जाय जैसा कि विधवा और पुत्रों आदि के लिए उपबन्ध किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2008 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 1739(2)/LXXIX-V-1-1(Ka)-30-2008

Dated Lucknow, September 01, 2008

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Zamindari Vinash Aur Bhumi Vyawastha (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 28 of 2008) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 27, 2008.

THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS (AMENDMENT) ACT, 2008

(U.P. ACT NO. 28 OF 2008)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-ninth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Act, 2008.

Amendment of section 171 of U.P. Act no. 1 of 1951

2. In section 171 of Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 hereinafter referred to as the principal Act,

in sub-section (2),–

(a) in clause (a) for the word "widow" the words "widow, unmarried daughter" shall be *substituted.*

(b) clause (c) shall be omitted.

Amendment of section 174

3-In section 174 of the principal Act,–

(a) in clause (a) for the words, "the pre-deceased son's pre-deceased son's widow" the words "pre-deceased son's pre-deceased son's widow and unmarried daughter" shall be *substituted.*

(b) for claused (d) the following clause shall be *substituted,* namely :–

"*(d)* married daughter"

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Keeping in view the changing social scenario, the unmarried daughter who is the nearest blood relation of her parents and wholly dependent theiron should also be given right of succession in the holding thereof. According to the existing provision of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 [Act no. 1 of 1951] the unmarried daughter has not been mentioned at number one in order of preference and as such she is deprived of her succession in the holding of her parent's agricultural land and hence she has no social protection. It has, therefore, been decided to amend the said Act to give the succession right in agricultural land to unmarried daughter as has been provided to the widow and sons etc. in the events of death of a Bhumidhar or an Assami.

The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Bill, 2008 is introduced accordingly.

By order,

P. V. KUSHWAHA,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 481 राजपत्र (हि0)–(1058)–2008–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 108 सा० विधायी–(1059)–2008–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी0/आफसेट)।